

steps are, therefore, immediately called for:—

(a) The producers should not be allowed to cut down production;

(b) They must reduce their prices to pre-July 1982 level forthwith;

(c) Import duty should be reduced to 20 percent so that the producers have to reduce their price to less than Rs. 1,200 to 1,300 per tonne. Their resistance to price reduction is stiffening by raising the false slogan of glut and dumping by Bulgaria etc.

12.52 hrs.

ANTI-HIJACKING BILL—CONTD.
 SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS
 AGAINST SAFETY OF CIVIL AVIA-
 TION BILL—CONTD.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will not take up further consideration of the Anti-Hijacking Bill and the Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Bill moved by Shri Bhagwat Jha Azad. Out of two hours allotted, one hour and five minutes were taken yesterday and 55 minutes remain. We will complete these two Bills and then adjourn for lunch.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bambay North East): Sir, this Bill has come in order to give legal shape to a convention, which was passed more than half a decade ago, which it was not thought fit all these years to bring in the form of an Act. Therefore, the question arises—it is a matter of curiosity—why this Anti-Hijacking Bill come at this stage.

As far as I can understand it, the reason is that the Government has run into difficulties with its own hijackers. Earlier on, the problem was to take a political stand on hijackers of other countries. For example, if the Palestinian Libera-

tion Organisation members hijacked a plane to India, and some other countries demanded them, then India would have felt embarrassed, because we support the PLO cause. Similarly, if murtas of Bhutto had hijacked the plane from Pakistan and brought it to India, then we would have to return him to Pakistan which these people would have found very embarrassing. But these Khalistan people have brought this Government more in line with the international thinking on the subject because when the Khalistan people hijacked this plane and took it to Lahore and they were arrested and I must say Pakistan should be congratulated on helping the Indian passengers to be freed without violence and sent home safely on each time, but they found that after they were arrested by the Pakistan authorities they were demanded back. The Pakistan Government simply asked this question that if you take them back, under what law are you going to try them and, secondly, if you take them back and we give them back to you and tomorrow Pakistanis hijack a plane into India, will you reciprocate and return those people to us? This was the question that was asked from this Government and this Government had no answer because they did not have an Act. Now the Act has come and Article 7 of that Act specifies more clearly that we will reciprocate. So I welcome this Bill because it is in line and keeping with the tradition, the international tradition, that has been established that hijacking is bad whether Indians do it, whether Khalistan people do it, whether the Palestinian Liberation Organisation does it, anybody does it, we do not consider something called a terrorist hijacking or political hijacking or whatever. However, there is a moral question which this Minister must answer. There was a hijacking within the country from Lucknow to Varansi by two people called Devendra Nath Pande and Bhola Nath Pande. So, we also arrested them in Varansi and sent them to jail and filed a case against them and since then I find that they are not in jail. So, I investigated

[Dr. Subramaniam Swamy]

and tried to find out where they are, and I found they were in Congress (I) and they have become MLAs. Now I had asked this question of the then Home Minister Giani Zail Singh that how can you condemn the hijacking of the Khalistan people when you have rewarded the hijacker, Bhola Nath Pande and Devendra Nath Pande and made them MLA. So, he said there was a difference in the case of Bhola Nath Pande and Devendra Nath Pande. They did hijacking within the country and as far as the Khalistan people are concerned, they went outside the country. Now, I would like the Minister to clarify whether hijacking is hijacking within the country or outside the country and if you do it within the country you will be rewarded in this way or not. I think this is a moral slur on the ruling party which it has to live down. So, I would conclude with the comment that the anti-hijacking measure in our airports are very primitive. I think it is necessary.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: The State Government has withdrawn the cases.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Yes. I know that they have withdrawn the cases and made them MLAs. So, I think the equipment should be modernised because the airport is a big headache—going and opening your bag, going through the referring. It is better to have these cameras, these X-Ray machines fitted on all the major airports. Today Delhi has an experimental measure but I think it should be done on all the airports and I think little expenditure on that is no harm. Secondly, I find it very odd that Members of Parliament are searched in a way that common criminals are searched. I am not searched because most policemen recognise me as the man who escaped during the Emergency. So, they say if you want to escape you will do it anyway.

MR. DEPUTY SPEAKER: You cannot be searched because you get into plane without their knowledge.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: They say that if you want to do anything mischievous, you will do in any way. Your capacity of mischief is established. But I do find many of my colleagues going through great harassment for this and I do not see why. If Members of Parliament are supposed to safeguard the nation, they must have an established identity, name. There is no question of identity, why there cannot be some special measure either through the presentation of identity card or whatever where the Members of Parliament can be exempted from these security checks because we do travel quite frequently and it becomes very odd. I would also say to the Minister since he is here that anti-hijacking measures need not resort to primitive methods. Now, I will give you an illustration of the primitive methods that are being used. We are told that Delhi Airport cannot be photographed.

13.00 hrs.

This is a regulation which is not there in any democratic country of the world. Besides this Delhi Airport is being photographed by satellite all the time. The tourists come and they want to take photograph of people coming and getting off the plane and climbing on the plane. If you go to America, Japan, Germany, you are allowed to take the photograph. This is something which people like to treasure. But this Government is following something of 1983 or whatever about prohibiting photograph in airport. If he wants to get a photograph of airport, I can give it to him taken by a satellite and sold commercially all over the world. But Indian citizens cannot take photograph of our own airport and photograph of the passengers. I think this should be changed. There should be review of the Airport Act that is quite out of date.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा):
उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो विधेयक लाया गया है, उसका समर्थन करता हूँ। इस प्रश्न पर 10-12 वर्षों तक विचार नहीं किया

गया जब कि नागर विमानन संगठन के द्वारा इस प्रश्न पर बहुत पहले यह निर्णय लिया गया था कि अक्सर वायु में परिवहन की व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में जो कुछ करारनामे हुए हैं उनके अनुसार हमको चलना चाहिए। लेकिन उस निर्णय को लेने के बाद 10-12 वर्ष तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, आज दुनिया में वायुयान द्वारा यात्रा बहुत लोकप्रिय हो गई है आम आदमी भी इसमें आने-जाने लगे हैं। लेकिन इसके साथ ही विध्वंसात्मक कार्यवाहियां भी काफी मात्रा में बढ़ गई हैं। वायुयानों के अपहरण के मामले भी दिनोंदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर भी भारत सरकार ने पिछले 10-12 वर्षों में इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की और अन्तर्राष्ट्रीय करारों का अनुकरण नहीं किया।

हमने देखा कि पिछले वर्षों में अपने देश में भी इस तरह की कई घटनाएं हुईं। भारत का वायुयान पाकिस्तान ले जाया गया और उसे वहां जलाया गया। पता नहीं उसके मुआवजे लेने या अन्य तरह से उसकी क्षतिपूर्ति की भी कोई व्यवस्था हो सकी है या नहीं। अगर अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में हुए इकरारनामों के अनुसार इस पर कोई ठोस कार्यवाही करने पर कुछ विचार किया जाता तो अच्छा होता। न जाने क्यों इस दिशा में कुछ नहीं किया गया।

इस विधेयक में कुछ कमियां रह गई हैं। वायुयान द्वारा धर्म और धार्मिक भावना से भी लोग यात्रा करते हैं। हवाई जहाजों के नियमों के अनुसार किसी धर्म

वगैरह के लिए यात्रा करने वालों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा प्रमुख चीज होनी चाहिए। वायुयान से यात्रा बहुत महंगी है और अगर यात्रा करने वालों को सुरक्षा की कोई व्यवस्था न हो तो विकट बात हो जाती है और खतरे का वातावरण बन जाता है। इस से यात्रियों का वायुयान से यात्रा करने के सम्बन्ध में निरुत्साहित होना पड़ता है। धार्मिक भावना से यात्रा इस तरह से नहीं होनी चाहिए जिस तरह से खालिस्तान के समर्थकों ने की और अपनी मांग के लिए भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न किया या किसी तरह को अपनी अन्य कार्यवाहियों के द्वारा वायुयान को अपहरण करना चाहा। ऐसे मामलों में सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। एमो न हो कि ऐसे कार्य के लिए किसी को पुरस्कार दिया जाए जैसा कि उत्तर प्रदेश के श्री भोलानाथ पांडे और देवेन्द्र पांडे को दिया गया। इस तरह के अपराधियों को एम0 एल0 ए0 बना दिया गया। इस से दूसरे लोगों में भी ऐसा काम करने के लिए उत्साह पैदा होता है। ऐसी कार्यवाही तब हुई जब कि यूथ कांग्रेस का आन्दोलन चल रहा था। उस समय जिन्होंने ऐसी कार्यवाही की उनको उस समय हीरो बनाया गया। ऐसा किसी अपराधी के लिए नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्धित हो, चाहे किसी भी धर्म से सम्बन्धित हो या किसी भी मत-मतान्तर से सम्बन्धित हो। ऐसे अपराध करने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए तभी लोगों में अपहरण की कार्यवाही करने के लिए भय उत्पन्न हो सकता है।

लेकिन, अगर किसी को छूट या राजनीतिक प्रश्रय दिया गया तो यह भावना

[श्री रीतिलाल प्रसाद वर्मा]

बढ़ती जायेगी। व्यास जो ने कहा था कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए, मैं खासतौर से इसका विरोध करता हूँ। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। अपराध-कर्मियों को अगर यह मालूम हो जायेगा कि पकड़े जाने के बाद गोली मार दी जायेगी तो वे विस्फोटक या विध्वंसकारी पदार्थ रख कर एयरक्राफ्ट का डमेज कर सकते हैं जिससे सभी के जान-माल की क्षति हो सकती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे आजीवन कारावास देनी चाहिए, साथ ही साथ जमानत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह भी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। ऐसे लोगों को जरा भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। इस बिल में उसकी कमी है।

जहां तक सुरक्षा के सम्बन्ध में जांच की बात है, उसमें भेदभाव की नीति होती है। बहुत से विकसित देशों में आधुनिकतम तरीके से जांच करने की व्यवस्था है। लेकिन हिन्दुस्तान में सुरक्षा प्रहरी शरीर को इस तरह से पकड़ते हैं जिससे उनके शरीर में दर्द हो और किसी विशेष व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ते हैं। इस तरह का भेद-मूलक व्यवहार नहीं होना चाहिए इसलिए सरकार को आधुनिकतम व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। जब तक एयरक्राफ्ट रहता है कोई उममें आँख में पानी मिला देता है तो ऐसी जगह पर कोई भार-साधक प्रहरी को रखा जाना चाहिए। उसकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर एयरक्राफ्ट में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। ऐसी अवस्था में ही एयरक्राफ्ट सुरक्षित रह सकता है।

इसी दृष्टिकोण से सरकार को विचार करना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार है। कन्वेंशन और माण्ड्रियल कन्वेंशन के अनुसार 70 देशों ने इसे पहले ही अपना लिया लेकिन हम पीछे हैं। इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक या कूटनीतिक भावना हो सकती है। यही कारण है कि बहुत से राजनीतिक और क्रान्तिकारी अपराधकर्मियों का होसला बढ़ा है और इसी वजह से चार-पांच बार ऐसा हुआ है। सुरक्षा प्रहरी सभी लोगों की जांच करते हैं—संसद् सदस्य और कुछ ऐसे विशेष लोगों की भी जांच करते हैं जैसे ईमानदारी दिखा रहे हैं। लेकिन जिनके पास रिवाल्वर या बम रहता है उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। केवल हम लोगों को दिखाते हैं कि हम कितने सक्षम हैं और कितनी बहादुरी से जांच कर रहे हैं। अपराधकर्मियों का पता लगाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को विशेष ट्रेनिंग दें जैसा विदेशों में होता है और उसी का अनुसरण करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (वाड़मेर) :
उपाध्यक्ष महोदय, विमान अपहरण विधेयक 1982 एवम् सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन विधेयक, 1982 जो सदन में प्रस्तुत किए गए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। यों तो इस कानून का, विरोधी पार्टी के सदस्यों ने और इस पार्टी के सदस्यों ने समर्थन किया है। परन्तु जो इस बात पर जोर दिया गया है और सरकार पक्ष को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए कि जब हमने कन्वेंशन पर 1970-71 में हस्ताक्षर कर दिये फिर इतने बिलम्ब से यह कानून क्यों लाया गया? और जब देरी से लाया गया तो इसमें यह भी लिखना चाहिए था कि यह तुरन्त लागू होगा। लेकिन यह भी नहीं बिल में लिखा गया

है। जब कि हमने सैलरोज और पेंशन बिल को परसों यहां पास किया और राज्य सभा ने कल पास किया और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी लागू हो जायगा, उसी प्रकार की कार्यवाही इस बिल के बारे में भी करनी चाहिए। नोटिफिकेशन में जारी करने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। इसलिए कानून में स्पष्ट लिखना चाहिए।

बिल में व्यवस्था है कि अपहरणकर्ता को लाइफ इमप्रिजनमेंट होगी। तो जब लाइफ इमप्रिजनमेंट होती है तो मतलब यह होता है कि यह अपराध कागनीजेविल और नान-वैलेविल होगा। यह प्रोवोजन इस बिल में होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। आई० पी० सी० और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के यह प्रोवोजन इसमें लागू होंगे कि नहीं इसकी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। मंत्री जी को इस बारे में संशोधन करना चाहिए। अन्यथा लाइफ इमप्रिजनमेंट होने के बाद भी यह प्रश्न आयेगा कि यह आफेंस नान-वैलेविल और कागनीजेविल है कि नहीं। यह बात इसमें स्पष्ट नहीं की गई है।

तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो हमारा विमान अपहरण करके लाहौर ले जाया गया था और बाद में हमको लौटा दिया गया, लेकिन उस अपहरणकर्ता को अभी तक हमें नहीं लौटाया गया है। यह चिन्ता का विषय है। इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच क्या करस्पोंडेंस हुई है, क्यों नहीं उस अपहरणकर्ता को लौटाया गया यह भी हमें बताया जाना चाहिए। क्या इसलिए नहीं लौटाया है कि हमारे यहां कोई कानून नहीं था जिसके अधीन ऐक्शन ले सकते? लेकिन इस कानून के बाद ऐक्शन ले सकते हैं तो इस

सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए और अपहरणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। जो उसका लक्ष्य था खालिस्तान का और पंजाब की भी जो स्थिति है तो अपहरणकर्ता से पूछताछ कर के जानकारी की जा सकती है कि उसके पीछे कौन सी शक्तियां थीं या हैं जिन्होंने उसको यह काम करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए आवश्यक है कि उस अपहरणकर्ता को हम अपने देश में वापस लायें ताकि पूरी जांच कर सकें और क्या कांस्प्रेसी है उसका पता हमें चल सके।

वह अपहरणकर्ता कृपाण ले कर चला गया उसके लिए कौन कर्मचारी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए। और हमारी सरकार कृपाण ले जाने को परमीशन दे यह भी स्थिति हम ठीक नहीं समझते हैं। क्योंकि अगर कृपाण रिलीजमेंट प्वाइन्ट से है तो दूसरे रिलीजमेंट वाले भी कह सकते हैं कि हम यह हथियार उपयोग करते हैं, हमें भी एलाऊ करना चाहिए। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर कोई भी किसी किस्म का हथियार अपने पास रखता है, चाहे धार्मिक दृष्टि से हो या किसी भी कारण से हो और उसको प्रयोग करने की उसकी इच्छा नहीं है तो भी कभी भी उसकी प्रवृत्ति हिंसा की हो सकती है और वह उस हथियार को प्रयोग में ला सकता है। इसके लिए हमें आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए।

तलाशी को जो बात कही गई है, मेरा कहना है कि सब का समान चैक किया जाना चाहिए, चाहे एम० पी० हो या मंत्री हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि एम० पी० जुर्म

नहीं कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जुर्म करने वाला साधारण व्यक्ति या इंडस्ट्रियलिस्ट ही हो सकता है जो कि कस्टम के ऑफेन्स कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ऑफेन्स कमिट कर सकता है, इसलिए तलाशी के लिए गाइड लाइन्स होनी चाहिए। और सब के लिए बराबर की गाइड लाइन्स जारी कर के सब की तलाशी की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में जो कानून प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

MR. DEPUTY SPEAKER: We are winding up the discussion. Shri A. K. Roy..

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): Sir, I seldom travel by air, I know only a little about these affairs like hijacking. Whatever we may say people in India do not fly. VIPs fly. And may be the enemies of the people fly. But the common people walk on the ground. So, I do not think that this Bill has got that much importance.

MR. DEPUTY SPEAKER: VIPs are not enemies of the people, I think!

SHRI A. K. ROY: We are decade behind giving a legal shape to a convention which was passed and adopted in early 70s. We are not only technologically behind. Even in legal matters, we are falling behind.

I do not want to comment on all these things because this has already been done.

I only want to point out one thing. Hijacking is not an ordinary offence. Hijacking is a political offence. So the question that arises is whether by increasing the quantum of punishment, can we contain any political offence? I think we cannot. Because those people who take to such desperate course, to whatever party or ideology they may belong, do not care for the consequences. So, if we think or if we live in our own paradise, and make

the punishment deterrent to deter such an offence, then, we would only be deceiving ourselves.

You have to create some social sanction, some political sanction and some consciousness against this crime. It is not a legal affair.

Those who are considered criminals today, they may be regarded as liberators tomorrow. Values change with the time.

We have, therefore, to lay emphasis on political sanction and social sanction against this crime.

You have observed that this Bill is more or less non-controversial. Even then, each and every Member may doubt its effectiveness and put some questions or some jarring note in their speeches as usual. Why? Because people doubt the basic honesty of this Government. There is a wide gap between precept and practice.

We referred to the hijacking from Lucknow to Varanasi or something like that. I know that because that was also debated in this House. A special debate was held only to discuss the hijacking. Sir, you would be surprised to know the stand the Congress Party took at that time. That was why I became interested in participating in such a debate.

Wisdom should not be drawn on the people simply because one changes sides. Sir, Shri R. Venkataraman is now Defence Minister. He is one of the senior Ministers and a very soft-spoken man. He spoke very plainly. What did he say in that debate? He said:

"Sir, I will take only two minutes about hijacking. This hijacking when it was originally mentioned in the papers really created a great deal of anger in the country. All of us felt, but ultimately, when it turned out to be nothing more than a toy pistol and cricket ball, Sir, it has become a joke of the year.

"AN HON. MEMBER: It turned out to be an apple.

SHRI R. VENKATARAMAN: What is more, these people do not seem to have even threatened or done anything of that kind. They seemed to have surrendered themselves. Sir, if it had happened on the 1st of April, all of us would have said that it is an April Fool joke."

Just after two years, it was said that what was done by Khalistan people was wrong. They showed a toy pistol or quava and it became a joke later. I want to emphasise one thing. Of course I have not to grind. One should take a very consistent line. If something had been done, one should be very serious about it whether he be in the Opposition or in the Government. You forget one thing. Whatever you say here, that becomes a part of the record. Anybody can quote that and refer to that. Parliamentary Proceedings are very precious. To day you are in the Opposition. Tomorrow you may become a Minister. While in Opposition you say something and that can be quoted when you become a Minister.

I would now like to say this. In answer to a question, the Minister has said that after 1980 and 1982, four cases of hijacking took place. In three cases, the hijacker boarded the aircraft at Delhi and only in one case he boarded at Udaipur. That means in Delhi, the capital of India, security arrangement seems to be lacking. We want to say how that could take place. You have said in answer to a question as follows:

"Toward this end sophisticated electronic detection equipment, viz., Hand held metal detectors, door frame metal detectors and X-Ray Hand Baggage Scanner, are progressively being installed."

I would like to know how progressively these are being installed. You have been taking several steps. You again say that these are political offences. These cannot be controlled only by deterrent punishment. That is my conviction. You have to create an atmosphere and have to deal with it politically. With these few words, I conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the Minister can reply.

नगर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों विधेयकों पर जिन माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार प्रकट किये हैं, उनमें वे एक बात पर एकमत हैं कि उन्होंने इन दोनों ही विधेयकों का समर्थन किया है। श्री मुधीर गिरि, जिन्होंने इस बहस को प्रारम्भ किया, बहुत सुन्दर और कम शब्दों में इसका पृष्ठभूमि आप के सामने रखी। क्या नियम है, उसको रखा, क्या प्रावधान हैं, उनको बताया और साथ-साथ और अधिक क्या करना चाहिये, उसको भी कहा। इसके साथ ही कहीं-कहीं उन्होंने राजनैतिक छोटकशी भी की, जो कि करना चाहिये थी और आवश्यक भी उनके लिए ताकि वे ऐसा करते। लेकिन मैं इस बात के लिये उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि उनके साथ सर्वश्री गिरधारी लाल व्यास, हरीश कुमार गंगवार, जयपाल सिंह कश्यप, डा० स्वामी, रामावतार शास्त्री, राम विलास पासवान तथा अंत में श्री ए० के० राय सभी ने इन दोनों विधेयकों का समर्थन किया।

लेकिन साथ-साथ तीन प्रकार की समालोचनाएं सामने आईं। एक तो यह कि इस कानून को तुरन्त लागू किया

[श्री भागवत झा आजाद]

जाये। दूसरे, जो पांच अपहरणकर्ता अभी भी पाकिस्तान में हैं, उनको लाने का प्रयास किया जाये। तीसरे सुरक्षा के प्रबन्ध को और मजबूत और आधुनिक बनया जाये। अधिकांश मेम्बरों ने राय प्रकट की कि सुरक्षा की जांच के सम्बन्ध में सुधार किया जाये।

इसके अलावा जो दूसरे प्रकार की समालोचना थी, वह देश के अन्तर्गत चलने वाली वायुयान सेवाओं, उनमें देरी, भोजन और भारतीय भाषाओं के अभाव देने के सम्बन्ध में थी।

तीसरे प्रकार की समालोचना थी राजनैतिक। मैं तीसरे प्रकार की समालोचना के सम्बन्ध में पहले कह दूँ कि मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि अपहरणकर्ता चाहे किसी भी पार्टी या राजनैतिक दल का हो, चाहे वह किसी विचार को बड़ा उदात्त बना कर कहता हो कि मैं इतने बड़े काज के लिये यह काम कर रहा हूँ, उसकी कार्यवाही चाहे किसी सिद्धांत के लिये और किसी भी अवसर पर हो, वह बिल्कुल गलत है, वह समाज का सबसे निष्ठुर प्राणी है और इस लिये उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिये।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस कानून को तुरन्त लागू किया जाये, जोकि शास्त्री जी ने कहा, यह बिल्कुल सही है। हम इस कानून को तुरन्त लागू करना चाहते हैं, क्योंकि 19 नवम्बर, 82 से एशियाड प्रारम्भ हो रहा है और इसके बाद गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा है और उनके लिये इस कानून को लाना जरूरी है और

जाये। दूसरे, जो पांच अपहरणकर्ता कानून को राष्ट्रपति की असेट मिल जायेगी हम इसको तुरन्त लागू करेंगे। इस लिये वह तुरन्त लागू हो जायेगा। इस वजह से इस बिल में "एट वन्स" नहीं लिखा गया है।

लेकिन इस सम्बन्ध में एक कठिनाई है। हमने जो दो कन्वेंशन माने हैं, उनके अनुसार संसार के तीन राष्ट्रों को नोटिफाई करना है। उसमें दो, चार, पांच दिन का वक्त लग जायेगा। हम इस कानून को तुरन्त लागू कर देंगे। इस लिये इसका उल्लेख इस बिल में नहीं कर पाये हैं।

हमने सुरक्षा प्रबन्ध के प्रश्न को बहुत गम्भीरतापूर्वक लेना है। जिन राष्ट्रों में वायुयान की सेवाएं अधिक हैं—उदाहरणार्थ अमरीका में—, वहां हार्ड-जैकिंग भी अधिक है। उसकी तुलना में हमारे देश में पिछले वर्षों में चार हार्डजैकिंग हुये हैं। मगर हम समझते हैं कि अगर एक भी हार्डजैकिंग हुआ है, तो वह गलत हुआ है। इसलिये सुरक्षा प्रबन्ध पर हम अधिक से अधिक जोर दे रहे हैं।

यह कहना सही नहीं होगा कि हम पुराने तरीकों से जांच कर रहे हैं। जांच करने के जो लेटेस्ट, आधुनिकतम, तरीके हैं, वे हमने लागू कर दिये हैं। उनमें से एक तो हंड मेटल डिटेक्टर है और दूसरा डोर फ्रेम है। तीसरा उपकरण वह है, जो अभी तक नहीं आया था, जिसको हम अब लाये हैं और आगे अधिक, तेजी से लायेंगे। जो व्यक्ति जा रहे हैं उनभी जांच तो हम हंड मेटल डिटेक्टर और डोर फ्रेम डिटेक्टर से कर देते हैं,

लेकिन उनके बैगज की जांच हम अभी तक प्रापरी नहीं कर पाते थे। उसके लिये हमने एक्सरे गैजेट बम्बई और दिल्ली में लगाये हैं। सब से बड़ी परेशानी इसके मिलने की थी; वह बाहर मिलता है। वह अपने ही देश में बन जाये—ई० सी० आई० एल० बना दे या वीस्ट बंगाल गवर्नमेंट की का-पोरेशन बना दे—और वह जल्दी मिल जाये। इस उधेड़-बुन में थोड़ी देर हो गई है। अब हम इस बात के लिये कृत-संकल्प हैं कि खासकर हमारे बहुत सेंसिटिव एरियाज में जो एयरपोर्ट्स हैं, वहां इस उपकरण को हम जल्द से जल्द लगा-येगे—दिल्ली में लगाया है, एशियाड वि-लेज में लगाया है, बम्बई में लगाया है और अमृतसर और श्रीनगर में बहुत जल्दी लगायेंगे।

सुरक्षा जांच के जो तीन प्रमुख आधु-निकतम तरीके हैं उनको हम लगा रहे हैं। लेकिन इसमें अधिक आवश्यक यह है कि जो लोग इन तरीकों को यूज करने वाले हैं, जो इनका प्रयोग करने वाले आफिसर्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाये। इन आफिसर्स को हम विभिन्न राज्यों से लेते हैं, उधार, लीजन पर लेते हैं। हम चाहते हैं कि दुर्भाग्य से यदि किसी राज्य में ऐसी घटना हो जाती है तो उस राज्य का हमें पूरा सहयोग मिले। हम अपना एक सलग क्वडर 5-6 हजार आदमियों का बनायें, वह बात भी आती है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी एयरपोर्ट हैं वहां राज्य प्रशासन से हमारा अधिक से अधिक सहयोग और सम्बन्ध रहे। इसीलिये हम राज्यों से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें लीजन पर अधिकारी दें और अधिक समय के लिये

दें, ऐसा न हो कि 6-8 महीने के बाद उनको वापिस बुला लें। हम यह भी चाहते हैं कि हमको अच्छे अधिकारी दें।

जांच के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि संसद सदस्यों में भेदभाव किया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि यह इसलिये नहीं है कि जांच की ही जाय, सब बात तो यह है कि हम, हमारा मंत्रालय, एयर-इंडिया और इंडियन एयर लाइन्ज यह बिल्कुल नहीं मानते हैं कि हमारे संसद सदस्य हाई जैकिंग करेंगे प्रश्न इस बात का है कि जब वर्षों में एक बार कोई एक व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो उसको रोकने के लिये इतनी अधिक-सावधानी करनी पड़ती है और इतने अधिक व्यक्तियों की जांच की जाती है। जहां व्यक्ति की सुबुद्धि ने प्रगति की है, उसकी कुबुद्धि ने उससे अधिक प्रगति कर ली है। आज एक व्यक्ति अपने पास चार-चार फोर्ड पासपोर्ट्स रखता है। वह एक माननीय सदस्य के फोर्ड-आई-डेंटिटी कार्ड से निकल भी सकता है। यदि इस प्रकार से कभी एक व्यक्ति भी निकल जाता है तो हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जायेंगे। प्रश्न यह है कि उन हजारों व्यक्तियों में कोई एक कुबुद्धि वाला व्यक्ति भी हो सकता है और उनके नाम से निकल सकता है। इसलिये उसको रोका जाये। मेरे पास विधान सभाओं के एम० एल० एज० के पत्र आये हैं, राज्य सरकारों के मंत्रियों के पत्र भी आये हैं और अमृतसर में तो एक बड़े अधिकारी ने भी प्रॉटेस्ट की थी कि जब आई० एस० ए०, आई० पी० एस० आफिसर्स को आप छोड़ते हैं तो मेरे को क्यों नहीं? मैं भी एक बड़ा आफिसर

[श्री भगवत झा आजाद]

हैं। इसलिये प्रश्न यह नहीं है और हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि कोई एम० पी० हाइजैकिंग करेंगे। परन्तु अपहरण को रोकने का प्रश्न इतना कठिन है कि दूसरे व्यक्तियों के साथ-साथ मैं अपने जांच के लिये समर्पित करता हूँ। आप इस को इस रूप में देखें कि मैं जो स्वयं मंत्रिमंडल में हूँ, मुझे भी वर्तमान नियमों के अनुसार सुरक्षा जांच के लिये अपने को समर्पित करना पड़ता है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं या जो मुख्य मंत्री हैं, ऐसे कुछ लोगों को छोड़ कर बाकी सभी व्यक्तियों पर यह बात लागू है। यह बात दूसरी है कि कोई व्यक्ति जांच करने के काम में अपना रोक न दिखाये, वदतमीजी न दिखाये, उस काम को नम्रतापूर्वक करे, ठीक से करे। इस बात के लिये सुधार की बराबर गुंजाइश है और हम बराबर प्रयास करते रहेंगे। उनको कहते हैं कि आप इस काम को इस रूप में कीजिये। इसलिये मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य इसको इस रूप में देखेंगे तो सन्तुष्ट हो जायेंगे।

इस विल के अतिरिक्त भी कुछ बातें कही गई हैं—जैसे इण्डियन एअर लाइज के लिये कहा गया कि हवाई जहाज लेट चलता है। मैंने प्रथम बात यह कही है, अपने दोस्तों को, —जैसे कुछ मित्रों ने अखबारों में लिख दिया कि भगवत झा आजाद ने कहा है—

I am the most powerful person.

मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने अपने फर्स्ट ब्रीफिंग में अपने अफसरों को यह कहा है कि आप निर्भीकतापूर्वक जो आप की इच्छा हो वह लिखो, सामने रखें राष्ट्र को और भगवान को। यदि भगवान

को नहीं मानते हैं तो डायलैक्टिकल—मैटीरियलिज्म के अन्तर्गत जो गरीब आदमी हैं उनकी तस्बीर सामने रखो? लेकिन उसके बाद मंत्री जी निर्णय करे तो वह मंत्री का निर्णय नहीं सरकार का निर्णय मान कर उसका प्रतिपालन होना चाहिये। उसी ब्रीफिंग में मैंने यह भी कहा कि एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइज के लिये कुछ गौरव हम को भो पहुँचाना चाहें तो सब से पहला सुधार यह करें कि लेट चलना बन्द हो और दूसरे-भोजन में सुधार कर दें। मैं इन दोनों बातों के लिए जोर लगा रहा हूँ। मैंने अपने सचिवालय के सचिव से, जो नये और जोरदार व्यक्ति हैं, कहा है कि हम हर एअरक्राफ्ट का हिस्ट्रीशीट रखें। पता लगायें कि कब, किस समय अमुक एअरक्राफ्ट कितना लेट हुआ और क्यों हुआ है। मैंने यह भी कहा है कि यह नामर्ली नहीं होना चाहिए —

I am sorry for the delay, I apologise.

यह आदत नहीं बननी चाहिए। कभी-कभी देर हो जाती है लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए।

मुझे कुछ सदस्यों ने कहा है कि आप न भोजन में सुधार कर दिया है, लेकिन कुछ ते व्यंग भी किया है कि पटना वाले में सुधार हुआ है। मैंने कहा है कि बम्बई वाले में भी कर दूंगा, अमाम वाले में भी कर दूंगा, कलकत्ता वाले में भी कर दूंगा। आप का कहना ठीक है।

तीसरी बात—इन वायुयानों में भारतीय भाषाओं के पत्र होने चाहिए —इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जो हवाई जहाज जिस जगह से उड़ता है, उस में अंग्रेजी अखबार तो होते ही हैं, लेकिन उस में भारतीय भाषाओं के पत्र भी हों, यह आदेश—मैंने

राज्य सभा में भी कहा है—मैं तुरन्त प्रसारित करा दूंगा। यह आवश्यक है कि अगर मद्रास से हवाई जहाज चलता है तो तमिल के प्रमुख पत्र भी उस में हों, अगर वह नागपुर से हो कर गुजराता है तो उस में महाराष्ट्र के भी प्रमुख मराठी पत्र हों। अगर वह पटना जाता है तो हिन्दी के प्रमुख पत्र हों। कलकत्ता से उड़े तो उसमें अंग्रेजी के अलावा बंगाली तथा हिन्दी के पत्र भी होने चाहिए। यह इन्तजाम मैं फौरन करा दूंगा ?

माननीय सदस्यों ने जिन बातों का उल्लेख किया, उन के लिए मैं उसका कृतज्ञ हूँ, लेकिन क्या कर इस में कोई और बात मन पठियेगा। इस बिल से अलग जो बातें कही गई हैं उन पर भी हम विचार करेंगे और जो उचित होंगी उन को मान लेंगे। जहाँ तक राजनीति वाली बात कही गई थी, वह आप को सुवारक हो। जहाँ तक दर की बात है कि इतनी दर क्यों हुई—मैं उस का कोई जवाब दूँ तो आप सहमत नहीं होंगे, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ और आप से क्षमा चाहता हूँ। कहते हैं—दर आयद दुरुस्त—इसी दृष्टि से आप सन्तोष मान लें। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता है कि आप इस का पूर्ण समर्थन करेंगे

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to give effect to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Clause by Clause consideration of the Bill.

"That clauses 2 to 11 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 2 to 11 were added to the Bill Clause 1—Short Title, extent, application and Commencement.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): I beg to move:

Page 1 for lines 14 and 15, substitute—

"(3) It shall come into force at once." (1)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Amendment moved by Shri Ramavtar Shastri to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, the Preamble and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री भागवत सा आजाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put to vote consideration motion in respect of Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Bill.

"That the Bill to give effect to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation and for matter connected therewith; as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 2 to 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.
Clause 1—Short Title, extent, application and Commencement

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is an Amendment of Shri Ramavtar Shastri in Clause 1 of the Bill. Are you moving?

SHRI RAMAVTAR SHASTRI (Patna): Yes, Sir.

I beg to move:

"Page 1,

for lines 16 and 17, substitute—

'(3) It shall come into force at once.'

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Shri Shastri's amendment to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"The Enacting formula, the Preamble and the title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री भागवत शास्त्री : महोदय,
मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि विधेयक को पारित किया जाए"।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.43 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fortyfive Minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fifty minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]